

 राजस्थान राज—पत्र विशेषांक साधिकार प्रकाशित संख्या ८०८८८	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary <i>Published by Authority</i> चैत्र १८, सोमवार, शाके १९३५—अप्रैल ८, २०१३ <i>Chaitra 18, Monday, Saka 1935—April 8, 2013</i>
--	--

भाग ४ (ग)

उप—खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी
तथा अधिसूचनाएँ।

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप- ३) विभाग
अधिसूचना**

जयपुर, मार्च १३, २०१२

S.O. 14:- गर्भधारण—पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा १७ की उप—धारा (2) सप्तित उप—धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधियूचना क्रमांक एफ.23 (2) चिकि. एवं स्वा./ग्रुप-३/2003/पार्ट दिनांक ०१-०७-२००३ समय—‘समय पर यथा संशोधित में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति ‘विशिष्ट शासन सचिव (परिवार कल्याण)’ के स्थान पर “शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य, एवं परिवार कल्याण विभाग” प्रतिस्थापित किया जावेगा।

[संख्या प.23(2) चिकि. /ग्रुप-३/2003/पार्ट]

राज्यपाल की आज्ञा से,

चुन्नी लाल कायल,

संयुक्त शासन सचिव।

1

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर